राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक– एफ2 (ग)(च.वे.मा)/79–III/अलेसे–I/2763-67 दिनांक – 03.12.2012

कार्यालय आदेश संख्या ......226../2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14 (88) एफडी(नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण करली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है–

क्र. सं.	नाम स.ले.अ. सर्वश्री	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1.	हरि वल्लभ गुप्ता	06.07.1951	03.10.1980	03.10.2007	
2.	अशोक कुमार गुप्ता	21.05.1956	25.09.1980	25.09.2012	दिनांक 01.06.02 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण पांच वर्ष पश्चात देय।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफ.डी.(नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण–पत्र व संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्र.सं. 1 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी के वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प2 (17) वित्त/राजस्व/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त सहायक लेखाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88) एफडी (नियम) 2008–1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारियों को ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

(हस्ताक्षर)
निदेशक

क्रमांक– एफ2 (ग)(च.वे.मा)/79–III/अलेसे–I/2763-67 दिनांक– 03.12.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी श्री..
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

(हस्ताक्षर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)